न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 35/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. बालु पिता लालु भील निवासी सुरतसिंह जी का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––**प्रार्थी**

बनाम

1. माधु पिता लालु भील
2. रामा पिता लालु भील
3. मांगु पिता लालु भील
4. नैनु निता लालु भील
5. प्रतापी पुत्री लालु भील
6. कमला पुत्री लालु भील
7. डाली पुत्री लालु भील
8. देवी पिता छोगा भील
9. कन्हैया पिता सोहन भील
10. नोजी पुत्री छोगा भील
11. मीठु पिता मुला भील
12. मांगी पत्नि अमरा भील
13. प्यारा पिता रूपा भील
14. केला पिता रूपा भील
15. हीरा पिता रूपा भील
16. बरदी बेवा अम्बालाल भील

सर्व निवासी सुरतसिंह जी का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

17. बद्रीलाल पिता भगवानलाल ढोली निवासी टीपुनाडी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––**विपक्षीगण**

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः– 28/06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सुरतसिंह जी का खेड़ा पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1057 रकबा 0.31 हे0, 1058 रकबा 1.07 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 1.38 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 52 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्त्दुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 17 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

क्रमश....

प्रकरण संख्या :– 35/
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सुरतसिंह जी का खेड़ा पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1057 रकबा 0.31 हे0, 1058 रकबा 1.07 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 1.38 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 700– (सात सौ रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 700– (सात सौ रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा